तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **एलची वगैरह बनाम मलुका पुत्र बुदरा के कायम मुकाम झीणी वगैरह** **मुकदमा संख्या:– 49/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20.11.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी वहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा पुर में वर्तमान खसरा संख्या 1212, 1213, 1214, 1214/1783 रकवा क्रमशः 0.01, 0.04, 7.30, 0.01 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.36 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो प्रार्थीया संख्या 1 एलची के ससुर एवं प्रार्थीया संख्या 2 लगायत 5 के दादा मलुका पुत्र बादरा के नाम से खातेदारी में है। प्रार्थीयागण की पैतृक भूमि है पिता जयकिशन के जीवनकाल में ही अप्रार्थी मलुका ने हमारे पिता जयकिशन से बंटवाड़ा कर हमारे पिता जयकिशन के 1/2 हिस्सा अलग कर देशी करीबन 5 बीघा भूमि प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में है जिसमें प्रार्थीयागण की रहवासीय ढ़ाणीयां बनी हुई है। मलुका के जयकिशन के अलावा और कोई पुत्र नहीं था, इस कारण पैतृक संपति में पति जयकिशन का 1/2 हिस्सा होने से प्रार्थीया अपने बंट की भूमि में काश्त कर रही है। खेतीवाड़ी कर में मेरे परिवार को चला रही हुं। प्रार्थीया के एचली के पुत्र न होने के कारण तथा पुत्रियां नाबालिग होने के कारण ससुर मलुका हमेशा परेशान करता था जिस पर हमारे फौजदारी मुकदमें आदि चले, प्रार्थीया को एक इकरारनामा दिनांक 23.02.2011 को मुखियान के रूबरू लिखकर दिया कि 1/2 हिस्से में एलची की जो पक्की ढ़ाणी बनी हुई है उसमें में एलची मय परिवार रहुंगी तथा मुझे दी गई भूमि 1/2 हिस्से में मलुका हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रार्थीयागण का राजस्व रेकर्ड में नाम न होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 मलुका आये दिन एलानियां धमकी देता है कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड में न होने के कारण भूमि से बेदखल कर देंगे हम खेत बेचान कर देंगे ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 1 को अविलंब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो वह हमारे बंट व कब्जे की भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देंगे जिससे प्रार्थीयागण को ऐसी क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण की पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थीयागण का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में है। प्रार्थीयागण अपने बंट की भूमि में रहवासी ढ़ाणी में मय परिवार निवासरत है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी स्तंभ प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन व व[illegible] होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान की बहस [illegible] किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पुर के नवीन खसरा संख्या 1212, 1213, 1214, 1214/1783 जुमले रकबा 7.36 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner